प्राक्कथन

1. कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अर्न्तगत स्थापित सरकारी कंपनियों के लेखाओं की (कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सरकारी कंपनी मानी जाने वाली कंपनियों सहित) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है। कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स) द्वारा प्रमाणित लेखे सीएजी की पूरक लेखापरीक्षा के अधीन हैं, जिनकी टिप्पणियां वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की पूरक होती हैं। इसके अलावा, ये कंपनियां सीएजी द्वारा नमूना लेखापरीक्षा के भी अधीन हैं।

2. कुछ निगमों और प्राधिकरणों को शासित करने वाली संविधियाँ उनके लेखाओं की सीएजी द्वारा लेखापरीक्षित किये जाने को आवश्यक बनाती है। पांच ऐसे निगमों यथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय खाद्य निगम और दामोदर घाटी निगम के संबंध में प्रासंगिक संविधियों में सीएजी को अपना एकमात्र लेखापरीक्षक के रूप में नामित किया गया है। एक निगम अर्थात् केंद्रीय भंडारण निगम के संबंध में, सीएजी को निगम को शासित करने वाली संविधि के अन्तर्गत नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखापरीक्षा किए जाने के बाद पूरक और नमूना लेखापरीक्षा करने का अधिकार है।

3. किसी सरकारी कंपनी या निगम के लेखाओं के संबंध में रिपोर्ट नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971, 1984 में यथा संशोधित, की धारा 19-ए के प्रावधानों के अन्तर्गत सीएजी द्वारा सरकार को प्रस्तुत किए जाते हैं।

4. वर्ष 31 मार्च, 2020 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में 10 मंत्रालयों/विभागों के नियंत्रण के अधीन 32 सीपीएसई से संबंधित 42 अलग-अलग लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां शामिल हैं। इन मंत्रालयों/विभागों को ऊर्जा, उद्योग और अवसंरचना जैसे तीन समूहों के तहत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकृत किया गया है। उर्जा समूह के तहत 15, उद्योग समूह के तहत 21 और अवसंरचना समुह के तहत 06 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां हैं। इस रिपोर्ट में उल्लिखित उदाहरण उन में से हैं जो 2019-20 के दौरान लेखापरीक्षा करते समय ध्यान में आये थे और साथ ही साथ उन में से भी हैं जो पूर्व के वर्षों में देखे गए थे। कुछ मामलों में मार्च 2020 के बाद के लेन-देन की लेखापरीक्षा के परिणामों का भी उल्लेख किया गया है।

5. इस प्रतिवदेन में 'कंपनियों/निगमों या सीपीएसई' के सभी संदर्भों को 'केंद्र सरकार की कंपनियों/निगमों' के संदर्भ में माना जा सकता है जब तक कि संदर्भ में अन्यथा सुझाव ना दिया हो।

6. यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।